अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती मीना देवी उर्फ मीना कुमारी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी प्लाट नम्बर ई–119, व ई–112, प्रेम नगर, झोटवाडा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश चन्द शर्मा उर्फ राजा, पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा
2. मीना शर्मा उर्फ बबली पत्नी श्री सुरेश चन्द शर्मा
3. चेतना शर्मा उर्फ अप्पू पुत्री श्री सुरेश चन्द शर्मा

निवासी प्लाट नम्बर ई–119, व ई–112, प्रेम नगर, झोटवाडा, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.07.2023 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 59/2022 ब–उनवानी श्रीमती मीना देवी बनाम सुरेश चन्द शर्मा व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 59/2022 ब–उनवानी श्रीमती मीना देवी बनाम सुरेश चन्द शर्मा व अन्य से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थीगण स्वयं मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 सपठित धारा 22(2) माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलार्थिया द्वारा अपनी समस्त पीड़ा अपनी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति को सुरक्षित करने के लिए तथ्य पेश किये गये तथा उसके पश्चात प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौराने भी अपीलार्थिया की सम्पत्ति हड़पने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा बनाये गये फर्जी उपहार पत्र बाबत भी बताया गया था । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया । जबकि उपखण्ड अधिकारी को अपीलार्थिया द्वारा अन्तिम वसीयत दिनांक 20.09.2019 की दिखाई गई थी जो अपीलार्थिया के स्व. पति द्वारा अपीलार्थिया के नाम से की गई है। अपीलार्थिया के पति की मृत्यु दिनांक 23.04.2021 को हो गई । तब तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई जबाब अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया और अपीलार्थिया के पति की मृत्यु के पश्चात वसियती दस्तावेजों की जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फर्जी उपहार पत्र का दस्तावेज बना कर अपने नाम सम्पत्ति हड़पने का प्रयास किया । इन सब तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ अधिकरण को होने के बावजूद भी अपीलार्थिया की सम्पत्ति को प्रत्यर्थीगण से अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत सुरक्षित करने का आदेश पारित नहीं किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा कई न्यायिक दृष्टान्तों मे प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी आदेश मैकेनिकल तरीके से नहीं किया जा सकता है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देख कर किया जाना चाहिये । इसलिए भी अपीलार्थिया की यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को मकान खाली करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उनका मकान अपीलार्थिया से 4 मकान छोड़ कर ही बना हुआ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी भी अपीलार्थिया को अच्छे से नहीं रखा गया । अपीलार्थिया के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा हमेशा बत्तमीजी की जाती है। अपीलार्थिया ने कैमरे लगवाये ताकि प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रताड़ित किया जाये तो सबूत के साथ पुलिस व श्रीमान के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, किन्तु ये लोग जहां कैमरे की पकड़ नही है वहां अपीलार्थिया के साथ गाली गलौच व बत्तमीजी करते है । अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थीगण द्वारा बनाये गए उपहार पत्र व सभी वसीयतों की प्रति पेश कर रखी है जिससे प्रत्यर्थीगण की नियत श्रीमान के समक्ष प्रकट हो सके। इसलिए प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थिया की सम्पत्ति को सुरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए भी प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थिया का मकान खाली किये जाने के आदेश दिया जाना जरूरी है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर ई–111, व ई 112, प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर को खाली कर अपने मकान ई 117, प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर में रहने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि ने लिखित बहस पेश कर उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता श्री रमेश चन्द शर्मा दिनांक 17.03.2015 को लकवा ग्रस्त व ब्रेन स्टोक होने के कारण गम्भीर स्थिति में दिनांक 18.03.2015 को मिलीट्री हॉस्पीटल से मनीपाल हॉस्पीटल सीकर रोड जयपुर मे डॉ. शंकर बासनदानी न्यूरोलोजिस्ट की यूनिट में भर्ती होकर स्थिति ठीक नहीं होने व उम्रदराज होने के कारण डाक्टर ने घर पर सेवा करने की कह कर दिनांक 08.04.2015 को हॉस्पीटल से डिस्चार्ज कर दिया। जिसके बाद प्रत्यर्थी 1 ता 3 व अपीलार्थिया मीना देवी ने स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा की मृत्यु होने तक काफी सेवा व बंदगी की। अपीलार्थिया के बड़े पुत्र वासुदेव ने प्रत्यर्थी 1 के पिता रमेश चन्द शर्मा के दिनांक 17.03.2015 को लकवाग्रस्त व ब्रेनस्टोक की बीमारी से ग्रसित होकर अनसाउण्ड माईन्ड की अवस्था में बेजा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फायदा उठा कर कई दस्तोवज उप पंजीयक कार्यालय के कर्मचारियों व विधि विशेषज्ञों के साथ राय कर षडयंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेज बना कर उक्त सम्पत्ति प्लाट नम्बर ई–111 व ई–112 को हड़पने व खुदबुर्द करने की नीयत से बना कर अपीलार्थिया माता को बिना बताये फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त एक्ट का बेजा फायदा उठा कर उक्त झूंठा परिवाद पत्र मान्य अधिकरण के समक्ष पेश किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अन्य सभी पुत्र व पुत्रियों को पक्षकार बनाया गया था, किन्तु अपील में जानबूझ कर केवल प्रत्यर्थी 1 व उसकी पत्नी प्रत्यर्थी 2 व उसकी पुत्री प्रत्यर्थी 3 को ही पक्षकार बनाया गया है अन्य को नही । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उक्त सम्पत्ति पर बैहैसियत मालिक निवास कर उपयोग व उपभोग कर रहे है प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पास उक्त सम्पति के विधिक दस्तावेज है। उक्त दस्तावेजों की जद में अपीलार्थिया अपने बड़े पुत्र वासुदेव के गुमराह करने के कारण पेश किये गये परिवाद के आधार पर प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने की अधिकारिणी नहीं है। इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त S. Vanitha V/s Deputy Commissioner Bengal uru Urban District and Other (2020 SCC Online SC 1023), वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं सरंक्षण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये 2010 के नियमों में कहीं भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बेदखली का आदेश पारित करने का कोई रेफरेन्स नहीं दिया हुआ है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री दिनेश मेहता द्वारा हाल ही में दिनांक 21.02.2022 को S.B. Civil Writ Petition No. 1936/2022 Vinod Sharma V/s Smt. Shanti Devi and Other Reported in (2022 LiveLaw (Raj) 86 पारित न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह प्रकट होता है कि अधिनियम की धारा 4 व 5 व राजस्थान सरकार द्वारा 2010 में बनाये गये नियमों के नियम 20 को पढने से स्पष्ट है कि अधीकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट को बेदखली का आदेश देने की कोई शक्तियां नहीं है । उक्त न्याय सिद्वान्त में न्याय मूर्ति दिनेश मेहता साहब ने पैरा संख्या 63, में भी यही स्पष्ट किया है कि अधीकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट एक अर्द्व न्यायिक अथोरिटी है जिसे कानून की व्याख्या करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण में मान्य अधिकरण को प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 को बेदखल करने की शक्ति प्राप्त नहीं है केवल भरण पोषण का आदेश पारित करने की शक्ति तक ही सीमित है। इस सन्दर्भ में अपीलर्थिया को पारिवारिक पेंशन धारक है, जिसको हजारों रूपये दो मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होते है। इसके अतिरिक्त माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट का Vimal Jeet Singh V/s District Magistrate Sas Nagar Mohali and Others (2018 SCC Online P&H 4778) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों का उपयोग करके बहू एवं उसके बच्चों को घर से बेदखल करने के लिए नियमो में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के पास केवल पुत्र पुत्री या कानूनी उत्तराधिकारी को बेदखल करने की शक्ति होगी क्यों कि वह अधिनियम केवल बच्चों एवं रिश्तदारों की परिभाषा करता है लेकिन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार यदि पति जीवित है तो बहु उत्तराधिकारी की परिभाषा में नहीं आयेगी। उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के वर्ग 1 व 2 के अनुसार यदि पति जीवित है, तो बहु कानूनी रूप से उत्तराधिकार की श्रेणी में नही आती । उपरोक्त प्रकरण में उक्त न्याय सिद्वान्त हू बहू चस्पा करता है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में बेदखली की शक्तियां कानून के अनुसार मान्य अधिकरण को प्राप्त नहीं है। मान्य अधिकरण केवल अपीलार्थिया को भरण पोषण का व संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है, परन्तु अपीलार्थिया को दोहरी पेन्शन मिलने से भरण पोषण राशि दिलाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर विवादित सम्पत्ति मकान नम्बर ई–111 व ई–112 प्रेम नगर झोटवाडा जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बेदखली करने का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। विवादित सम्पत्ति स्व॰ श्री रमेश चन्द शर्मा के स्वामित्व की थी। स्व॰ श्री रमेश चन्द शर्मा द्वारा की गई कुल चार वसीयते पेश हुई है। प्रथम वसीयत प्रत्यर्थी संख्या एक सुरेश के पक्ष में दिनांक 28.10.2004 को निष्पादित की गई है। जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी पत्नी श्रीमती मीना देवी प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 11.01.2023 को उपहार पत्र तस्दीक कराया है। द्वितीय वसीयत दिनांक 03.08.2015 को, तृतीय वसीयत दिनांक 08.03.2018 को एवं चतुर्थ वसीयत दिनांक 20.09.2019 को अपीलार्थिया के पक्ष में निष्पादित की गई है। इसके पश्चात वसीयतकर्ता श्री रमेश चन्द शर्मा का दिनांक 23.04.2021 को देहान्त हो गया। अपीलार्थिया के पक्ष में की गई वसीयत सबसे बाद की होने से प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को विवादित सम्पति ई–111 व ई–112 प्रेम नगर, झोटवाडा से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होने पर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner